

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या: 1891

गुरुवार, 28 जुलाई, 2022/ 06 श्रावण, 1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानपत्तनों पर रात में लैंडिंग की सुविधा

1891. डॉ. सुभाष रामराव भामरे:

डॉ. डी.एन.वी.सॅथिलकुमार एस.:

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:

श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के कई विमानपत्तनों पर रात में लैंडिंग की सुविधा विकसित करने में विफल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) उन विमानपत्तनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जहां रात में लैंडिंग की सुविधा नहीं है;

(ग) क्या सरकार ने देश के सभी विमानपत्तनों पर रात में लैंडिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी को उन्नत करने का निर्णय लिया है, और यदि हां, तो इसे कब तक उन्नत किया जाना है;

(घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा रात में लैंडिंग की सुविधाओं से विहीन विमानपत्तनों पर दृश्यता स्तर को मापने की लिए क्या व्यवस्था की गई है;

(ड.) ग्राउंड-स्टाफ द्वारा रात में लैंडिंग की सुविधाविहीन विमानपत्तनों पर किसी विमान को उड़ान से लैंडिंग की अनुमति देने के लिए अपनाई जाने वाले प्रक्रिया क्या है; और

(च) क्या देश में कई विमानपत्तनों के पास दृश्यता के स्तर को मापने के लिए यांत्रिक उपकरण नहीं है और वे व्यक्तिगत एयर ट्रेफिक कंट्रोलर (एटीसी) की दृश्य क्षमताओं पर निर्भर करता है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त मुद्दों के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ग): रात्रि लैंडिंग सुविधाओं के प्रावधान सहित हवाई अड्डों का स्तरोन्नयन/आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है, जो भूमि की उपलब्धता, वाणिज्यिक व्यवहार्यता, सामाजिक-आर्थिक विचारण, यातायात मांग/एसे हवाई अड्डों के लिए/से प्रचालन करने

के लिए एयरलाइनों की इच्छा आदि के आधार, पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और अन्य हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा समय-समय पर यह कार्य किया जाता है।

वर्तमान में, रात्रि लैंडिंग सुविधा, जो एयरलाइनों की प्रचालनिक आवश्यकताओं और भूमि की उपलब्धता पर विशुद्ध रूप से मांग और आवश्यकता आधारित है, अनुबंध में दर्शाए गए अनुसूचित उड़ान प्रचालनों वाले 25 प्रचालनरत हवाई अड्डों पर उपलब्ध नहीं है।

(घ): वे हवाईअड्डे जिनमें रात में लैंडिंग की सुविधा नहीं है, पर भारत मौसमविज्ञान विभाग (आईएमडी) के योग्य मौसमविज्ञान कार्मिक, विशेष उपस्करणों/उपकरणों/यंत्रों की सहायता से दृश्यता, हवा की गति, हवा की दिशा इत्यादि के बारे में डेटा मुहैया कराते हैं।

(ङ): किसी भी विमान को रात में ऐसे किसी हवाईअड्डे पर उतरने की अनुमति नहीं है, जहां रात में लैंडिंग की सुविधा नहीं हो और उड़ान प्रचालन की अनुमति केवल दिन के समय होती है।

(च): मापी गई दृश्यता की रिपोर्टिंग हवाई यातायात नियंत्रकों (एटीसीओ) की दृश्य क्षमता पर निर्भर नहीं करती है। आईएमडी के प्राधिकृत मौसमविज्ञान कार्मिकों द्वारा दृश्यता को मापा जाता है और इस बाबत एटीसीओ को सूचित किया जाता है।

लोक सभा के दिनांक 28-07-2022 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1891 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित

अनुलग्नक

ऐसे प्रचालनरत हवाईअड्डों की सूची जहां रात्रि अवतरण सुविधा के बिना अनुसूचित उड़ाने प्रचालित होती है

क्र.सं.	राज्य	हवाई अड्डे का नाम
1.	आंध्र प्रदेश	कडप्पा
2.		कुरनूल
3.	असम	रूपसी
4.	अरुणाचल प्रदेश	तेज
5.		पासीघाट
6.	छत्तीसगढ़	बिलासपुर
7.		जगदलपुर
8.	दमन और दीव	दीव
9.	गुजरात	केशोद
10.	हरियाणा	हिसार
11.	हिमाचल प्रदेश	धमशाला
12.		कल्लू
13.		शिमला
14.	झारखंड	देवघर
15.	कनोटक	कलबुर्गी
16.	लक्षद्वीप	अगाती
17.	महाराष्ट्र	कोल्हापुर
18.		सिधुदुर्ग
19.	पंजाब	लाधियाना
20.	पुदुचेरी	पुदुचेरी
21.	सिक्किम	पाक्योग
22.	तमिलनाडु	सलेम
23.	उत्तराखंड	पतनगर
24.		पिथौरागढ़
25.	उत्तर प्रदेश	कूशीनगर